

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-5519/2022

कल्पना शर्मा (कर्मचारी आई.डी.- आरजेकेओ201127023645)

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान,
जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.10.2022

आदेश की दिनांक : 08.12.2022

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी ने अपनी अपील में यह कथन किया है कि अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक, विज्ञान के पद पर कार्यरत है। आलौच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण रा.उ.मा.वि, धर्मपुरा सिटी, कोटा से रा.उ.मा.वि., मदनपुरा, कोटा में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान स्थान पर पदस्थापित होने के 13 माह बाद ही कर दिया गया है। अपीलार्थी का यह भी तर्क है कि अपीलार्थीया के पति भी राजकीय सेवा में है और सरकार की यह नीति रही है कि पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थापित किया जाना चाहिए। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी का एक पुत्र है, जिसकी देखभाल के लिए अन्य कोई नहीं है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यह नियोजक के विवेक पर निर्भर करता है कि वो कार्मिक की सेवाएं

किस स्थान पर लें। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण **Rajendra Roy Vs. Union of India (1993) 1 SCC 148** में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:—

"It is true that the order of transfer often causes a lot of difficulties and dislocation in the family set up of the concerned employees but on that score the order of transfer is not liable to be struck down. Unless such order is passed mala fide or in violation of the rules of service and guidelines for transfer without any proper justification the Court and the Tribunal should not interfere with the order of transfer."

4. स्थानांतरण राजकीय सेवा का एक भाग है। यह प्रत्यर्थी विभाग के विवेक पर निर्भर है कि उन्हें अपीलार्थी की सेवाएं किस स्थान पर लेनी है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण किया है। उपरोक्त विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी के स्थानांतरण हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी के स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों एवं राजहित में किया गया है। यह प्रकट नहीं होता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण किये जाने में कोई दुर्भावना रही हो। जहां तक अपीलार्थी व उनके पति को एक स्थान पर कार्यरत रखे जाने का प्रश्न है, इस संबंध में हमारे मत में अपीलार्थीया राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकती है। स्थानांतरण आदेश को केवलमात्र इस आधार पर विधि-विरुद्ध नहीं माना जा सकता। स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई उचित कारण प्रकट नहीं होता है।
5. अतः यह अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)